संख्या-ए-1-55/दस-90-10(6)-90

प्रेषक,

डी. ...ोला नाथ तिवारी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 5 दिसम्बर, 1990

विषय :—सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सुविधा दिये जाने के फलस्वरूप होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

वित्त (लेखा) अनुभाग--1

उपरोक्त विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों एवं राज्य सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों के आहरण एवं वितरण के संबंध में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो कि उनके पेंशन के आहरण एवं वितरण के सम्बन्ध में अपनाई जाती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पेंशनर अपना पेंशन देयक कोषागार को प्रस्तुत करता है उसी प्रकार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का देयक भी वह उस कोषागार में जहां से नियमित पेंशन आहरित कर रहा है, अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत करेगा। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति नियमानुसार संबंधित विभाग की स्वीकृति के बाद ही अनुमन्य होगी। अतः पेंशनर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति से संबंधित विभाग की स्वीकृति का संदर्भ देयक पर देते हुए स्वीकृति आदेश मूलरूप से देयक के साथ संलग्न करेगा जिसके आधार पर कोषाधिकारी द्वारा सीधे भुगतान किया जायेगा। इस प्रक्रिया से पेंशनर जहां से पेंशन आहरित कर रहा है उसी कोषागार से उसे चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति भी मिल जायेगी। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी स्वीकृति आदेश की एक प्रति उसे कोषागार को पृष्ठांकित करेंगे जिस कोषागार से पेंशनर अपनी पेंशन आहरित कर रहा है। जिससे चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान में कोषागार स्तर पर कोई भ्रम एवं कठिनाई न होने पाये।

2—चिकित्सा अनुभाग--7 के शासनादेश संख्या-2854/दस-7--1004-80 दिनांक 3 जून, 1980 के प्रस्तर—4 में अंकित है कि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति उसी लेखाशीर्षक से वहन की जायेगी जिस लेखाशीर्षक से संबंधित कर्मचारी की पेंशन आहरित की जाती है। अतः यह भी निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति विषयक दावा पेंशन प्रपत्र पर प्रपत्र के शीर्ष पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति शब्द लिखकर पेंशनर द्वारा कोषाधिकारी को प्रस्तुत किया जायगा। पेंशनरों के प्रकरण में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व से प्रचलित पे-बिल पर इस प्रकार के दावों को प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया तात्कालिक प्रभाव से बन्द कर दिया जाये। पेंशनरों द्वारा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का दावा पेंशन बिल प्रपत्र पर प्रस्तुत करने से व्यय को कोषागार में गलत वर्गीकृत किये जाने की संभावना नहीं रहेगी। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति पर हुए व्यय की पोस्टिंग कोषाधिकारियों द्वारा पेंशन बिल पोस्टिंग रजिस्टर पर अलग कालम में खोलकर की जायगी।

3—ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन की धनराशि कोषाधिकारी द्वारा नकद भुगतान की जाती है उनके चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का नकद भुगतान द्वारा कोषागार द्वारा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति आदेश प्रस्तुत करने पर आवश्यक जांच के बाद पेंशन की भांति नकद किया जायेगा परन्तु, इसके लिए पेंशनर को पेंशन बिल प्रपत्र पर अलग से दावा कोषाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। चूंकि पेंशन के आहरण वितरण का अधिकार कोषाधिकारियों को प्रदत्त है अतः पेंशनरों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के आहरण वितरण का अधिकार भी कोषाधिकारियों को होगा।

होगा, वह आकस्मिक व्यय मद से वहन किया जायेगा । मुख्त.
में नियमों में निर्धारित सभी सावधानियां विभागाध्यक्ष को बरतनी हो.
उक्त शासनादेश दिनांक 5 दिसम्बर, 1990 की शेष अन्य व्यवस्थायें यथावत्
लागू रहेंगी ।

भवदीय,

(भोला नाथ तिवारी)
प्रमुख सचिव

सं० ए.1, /दस.90.10(6)/90

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार द्वितीय (आडिट), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
3. प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी ।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरानगर, लखनऊ ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8. प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त ।
9. मुख्तार एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली ।

आज्ञा से,

(डी०एन० तिवारी)
संयुक्त सचिव